इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2013—कार्तिक 10, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. 15-विधि-निर्वा.-चार-2013-745.—महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :—

1. संख्या 15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.-2013, दिनांक 1 नवम्बर 2013
2. संख्या 464/MP-LA/2013, दिनांक 1 नवम्बर 2013.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2013

अधिसूचना

15-विधि निर्वा.-चार-म.प्र.-वि.स.-2013.—यत:, भारत के संविधान अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को सम्मिलित करते हुये उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है :

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य के राज्यपाल, राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

Bhopal, Dated 1st November 2013

NOTIFICATION

No. 15-Law Ele.-IV-MP-LA-2013.—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, unless sooner dissolved shall continue upto and including the 12th December, 2013 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State,

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Madhya Pradesh is hereby pleased to call upon all of the Assembly Constituencies of the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANTHONY DE SA, Chief Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

दिनांक 1 नवम्बर 2013—10 कार्तिक, शक (1935)

अधिसूचना

संख्या 464-म.प्र.-वि.स.-2013.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जारी और 1 नवम्बर 2013 को राज्य के शासकीय "राजपत्र" में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, में से प्रत्येक से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा :—

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में,—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	8 नवम्बर, 2013 (शुक्रवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	9 नवम्बर, 2013 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	11 नवम्बर, 2013 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	25 नवम्बर, 2013 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	11 दिसम्बर, 2013 (बुधवार);

नियत करता है; और

(आ) पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, बालाघाट जिले में शामिल 108-बैहर (अ.ज.जा.), 109-लांजी और 110-परसवाड़ा नामक 03 (तीन) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, मतदान होगा और पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक का समय ऐसे समय के

रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान 108-बैहर (अ.ज.जा.), 109-लांजी और 110-परसवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचन के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट तारीख को यदि आवश्यक हुआ, मतदान होगा.

आदेश से,

(बनार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

Dated 1st November, 2013—10 Kartika, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464-MP-LA-2013.—Whereas, the Governor of the State of Madhya Pradesh has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official "Gazette" of the State on the 1st November 2013, been pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

Now, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby,—

(A) appoints, with respect to the said election in each of the Constituencies :—

(a) the 8th November, 2013 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 9th November, 2013 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 11th November, 2013 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 25th November, 2013 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken and;

(e) the 11th December, 2013 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) Fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election in respect of all the Assembly Constituencies except 3 (three) assembly constituencies comprised within the district of Balaghat, namely:—108-Baihar (ST), 109-Lanji and 110-Paraswada; and fixes the hours from 7.00 AM to 3.00 PM as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election in respect of 108-Baihar (ST), 109-Lanji and 110-Paraswada Assembly Constituencies.

By order,

(BERNARD JOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.